कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–48/2015–546 दिनांक : 18.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण तथा गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रू0 89.179 लाख (नवासी लाख सतरह हजार नौ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–70/2015–60/स्वी0 व0प0 दिनांक–07.03.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–70/2015–27/आ0 व0प0 दिनांक 14.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 89.179 लाख (नवासी लाख सतरह हजार नौ सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	85.454
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	3.725
कुल :–		**89.179**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–48 / 2015–546** दिनांक–**18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–48 / 2015–546** दिनांक–**18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ लातेहार/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			8034.53	**300.00**	**8334.53**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	60	4.821	0.180	5.001
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	25	2.009	0.075	2.084
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	2.410	0.090	2.500
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	30	2.410	0.090	2.500
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	70	5.624	0.210	5.834
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	4.821	0.180	5.001
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	4.821	0.180	5.001
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60	4.821	0.180	5.001
9	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	4.821	0.180	5.001
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	60	4.821	0.180	5.001
11	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	60	4.821	0.180	5.001
12	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग	60	4.821	0.180	5.001
13	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	60	4.821	0.180	5.001
योग :–		**695**	**55.842**	**2.085**	**57.927**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधो का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13280.96	**750.00**	**14030.96**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	3.984	0.225	4.209
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	3.984	0.225	4.209
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	30	3.984	0.225	4.209
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	25	3.320	0.188	3.508
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	17	2.258	0.127	2.385
6	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	7.969	0.450	8.419
योग :–		**192**	**25.499**	**1.440**	**26.939**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10283.00	**500.00**	**10783.00**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	40	4.113	0.200	4.313
योग :–		**40**	**4.113**	**0.200**	**4.313**
सकल योग :–		**927**	**85.454**	**3.725**	**89.179**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0ब0–70/2015–60/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.03.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे **मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस**

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	14.00	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	300.00	300.00
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे0	6.00	1498.98		1498.98
	योग :–		**32.16**	**8034.53**	**300.00**	**8334.53**

अनुलग्नक–2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 X 2 मी0 **मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस**

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	35.00	8744.05	0.00	8744.05
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	750.00	750.00
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे0	6.00	1498.98		1498.98
	योग :–		**53.16**	**13280.96**	**750.00**	**14030.96**

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0) **मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस**

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	**सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	23.00	5746.09	0.00	5746.09
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.16	3037.93	0.00	3037.93
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1498.98	0.00	1498.98
	योग–		**41.16**	**10283.00**	**500.00**	**10783.00**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2019/546 दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32003	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	482,100.00 रुपये चार लाख बयासी हजार एक सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32004	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	200,900.00 रुपये दो लाख नौ सौ
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32006	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	652,300.00 रुपये छः लाख बावन हजार तीन सौ

योग: 1,335,300.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख पैंतीस हजार तीन सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-27/2019/546 दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरीं **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32008	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	788,200.00 रुपये सात लाख अठयासी हजार दो सौ
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32009	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	880,500.00 रुपये आठ लाख अस्सी हजार पॉच सौ
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32011	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	880,500.00 रुपये आठ लाख अस्सी हजार पॉच सौ

योग: 2,549,200.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख चौरासी हजार पॉच सौ 3,884,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.150.21
Run Date: 18/6/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	32013	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	482,100.00 रुपये चार लाख बयासी हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	32014	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,279,000.00 रुपये बारह लाख उन्नासी हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	32015	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	880,500.00 रुपये आठ लाख अस्सी हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 2,641,600.00

क्रमिक योग: रुपये पैसठ लाख छब्बीस हजार एक सौ 6,526,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32016	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	482,100.00 रुपये चार लाख बयासी हजार एक सौ
11	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32017	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	814,100.00 रुपये आठ लाख चौदह हजार एक सौ
12	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32018	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	482,100.00 रुपये चार लाख बयासी हजार एक सौ

योग: 1,778,300.00

क्रमिक योग: रुपये तिरयासी लाख चार हजार चार सौ 8,304,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-27/2019/546 दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	34353	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	241,000.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32026	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	18,000.00 रुपये अठारह हजार
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32027	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	7,500.00 रुपये सात हजार पाँच सौ

योग: 266,500.00

क्रमिक योग: रुपये पिचयासी लाख सत्तर हजार नौ सौ 8,570,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF,DEV,JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-27/2019/546 दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32028	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	29,000.00 रुपये उन्तीस हजार
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32029	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	9,000.00 रुपये नौ हजार
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32030	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	33,700.00 रुपये तैतीस हजार सात सौ

योग: 71,700.00

क्रमिक योग: रुपये छियासी लाख बयालीस हजार छः सौ 8,642,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-27/2019/546 दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32031	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	40,500.00 रुपये चालीस हजार पाँच सौ
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32032	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	40,500.00 रुपये चालीस हजार पाँच सौ
21	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32033	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	18,000.00 रुपये अठारह हजार

योग: 99,000.00

क्रमिक योग: रुपये सित्यासी लाख इकतालीस हजार छः सौ 8,741,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32034	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	63,000.00 रुपये तीरसठ हजार
23	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32035	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	40,500.00 रुपये चालीस हजार पॉच सौ
24	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	32036	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	18,000.00 रुपये अठारह हजार

योग: 121,500.00

क्रमिक योग: रुपये अठयासी लाख तीरसठ हजार एक सौ 8,863,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	32037	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	36,800.00 रुपये छत्तीस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
26	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	32038	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	18,000.00 रुपये अठारह हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 54,800.00

क्रमिक योग: रुपये नवासी लाख स त्र ह हजार नौ सौ 8,917,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI